

राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21538/2024

सुमित्रा तंवर पुत्री श्री देबीलाल तंवर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम महुवाखो, पोस्ट गोपालपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़, राजस्थान। वर्तमान में निवासी नवकार भवन द्वितीय सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
- निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान सरकार, झालाना संस्थागत क्षेत्र, दूरदर्शन केंद्र के पास, जयपुर - 302004

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : सुश्री श्वेता बोरा।

उत्तरदाता(यों) के लिए : श्री मुकेश दवे, ए.जी.सी. के साथ
श्री तनुज जैन

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

27/01/2025

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक 8) की अंतिम मेरिट सूची के विरुद्ध है, जिसमें दिनांक 05.05.2023 के विज्ञापन के अनुसार, नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए याचिकाकर्ता का नाम ओबीसी-गैर-क्रीमी लेयर तलाकशुदा महिला (विवाह रद्द) श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था।

2. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने पात्र और पूरी तरह से योग्य होते हुए दिनांक 05.05.2023 के विज्ञापन के अनुसार ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर तलाकशुदा महिला (रद्द विवाह) श्रेणी के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया था। पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि 04.06.2023 थी/है। वह 11.09.2023 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित हुई, लेकिन उस समय तलाक का आदेश प्रस्तुत नहीं कर पाई, क्योंकि यह बाद में 16.09.2023 को प्रदान किया गया था। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद,

उसने तुरंत इसे संबंधित विभाग को प्रस्तुत किया, जिसमें पद के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का अनुरोध किया गया। पात्रता मानदंड और आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद, उसका नाम अनंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया। यद्यपि याचिकाकर्ता ने 10.12.2024 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, तथापि प्रतिवादीगण कोई भी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। इस निष्क्रियता से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अंतिम मेरिट सूची में शामिल करने की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।

4. मैं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि तलाकशुदा महिलाओं के सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से, भले ही डिक्री निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त की गई हो, भर्ती एजेंसी को इस पर विचार करना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करने से विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि सहित शर्तों का उल्लंघन होने का खतरा है। इससे उन उम्मीदवारों के काल्पनिक आवेदनों को स्वीकार करने की मनमानी हो सकती है जो अन्यथा पात्र नहीं हैं।

5. यह बात सुनने में भले ही अटपटी लगे, लेकिन भर्ती के मामलों में पात्रता की शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, और विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता अर्जित किए जाने की पूर्ववर्ती कट-ऑफ तिथि को लागू न करके, उसे अधर में नहीं रखा जा सकता है।

6. इसके अतिरिक्त, उस अभ्यर्थी के आवेदन को स्वीकार करना जो कट-ऑफ तिथि के बाद स्वीकृत रूप से किसी विशेष श्रेणी के लिए पात्र हुआ है, विवादों का पिटारा खोल देगा। इसके परिणामस्वरूप उन अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी शत्रुतापूर्ण भेदभाव होगा जिन्होंने उक्त पात्रता कट-ऑफ तिथि के बाद अर्जित की होगी परंतु विज्ञापन के अनुसार कट-ऑफ तिथि का पालन करते हुए, प्रश्नगत पद के लिए आवेदन न करने का विकल्प चुना।

7. अतः, रिट याचिका खारिज की जाती है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

2-/जितेन्द्र/सुमित.

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हां/नहीं।

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Tarun Mehra

Advocate